IN THE HIGH COURT OF UTTARANCHAL AT NAINITAL

Writ Petition No. 865 of 2006 (M/B)

Sushil Kumar Agrawal S/o Late Banarasi Das Agrawal,
R/o Main Bazar,
Kasba and Police Station Vikas Nagar,
District Dehradun. ..... Petitioner

Versus

1. State of Uttaranchal,
through S.S.P.,
Dehradun.
2. Station Officer,
Police Station Vikas Nagar,
District Dehradun.
3. Sri R.S. Pal, Station Officer,
Police Station Vikas Nagar,
District Dehradun. ..... Respondents

Mr. Arvind Vashishth, Advocate for the petitioner.
Mr. H.C. Pande, Addl. Government Advocate for respondents Nos. 1 & 2.

JUDGMENT

Coram: Hon'ble Rajeev Gupta, C.J.
Hon'ble Prafull C. Pant, J.

RAJEEV GUPTA, C. J. (Oral)

Mr. Arvind Vashishth, Advocate for the petitioner.

Mr. H.C. Pande, Addl. Government Advocate for respondents Nos. 1 & 2.

They are heard on admission.

2. Petitioner Sushil Kumar Agrawal has filed this writ petition for the following refiefs:

> "(i) a writ, order or direction in the nature of Certiorari quashing the impugned F.I.R. dated 06.07.2006 lodged by Respondent no. 3 which has been registered as Case Crime No. 139 of 2006 Under Section 420, 467, 468, 471 & 120-B I.P.C. at Police Station-Vikas Nagar, District Dehradun.
>
> (ii) a writ, order or direction in the nature of mandamus commanding the respondents not to arrest and not to harass the petitioner in pursuance of impugned F.I.R. dated 06.07.2006 lodged by Respondent No. 3 which has been registered as Case Crime No. 139 of

2006 Under Section 420, 467, 468, 471 & 120-B I.P.C. at Police Station-Vikas Nagar District Dehradun.

(iii) any other suitable writ, order or direction which this Hon'ble court may deem fit and proper in the circumstances of the case.

(iv) award the cost of petition to the petitioner."

3. The petitioner is apprehending his arrest for his alleged involvement in Crime No. 139 of 2006 registered at Police Station Vikas Nagar, District Dehradun for the alleged commission of the offences punishable under Sections 420, 467, 468, 471 and 120-B of the I.P.C.

4. The First information Report lodged by respondent No. 3 Sri R.S. Pal against the petitioner reads as follows:

"ब्यान किया कि मैं एस.ओ. रूदसिंह पाल मय एस.आई हरक सिंह किरमाल वाद बस नं0 UA07 E-4678 में रवाना रफता रपट नं0 24 समय 12.30 बजे दिनांक 6.7.2006 से वापस आया जॉच से पाया कि दिनांक 2.7.06 को सूचना मिली कि एक ही नं0 UA07 E-4678 की दो बसें लम्बे समय से चोरी छिपे राज्य सरकार का टैक्स चोरी करते हुए अवैध रूप से यात्रियों को लेकर आ जा रही है जिसमें राज्य सरकार को राजस्व की हानि पहुॅचाकर निजी रूप से अवैध लाभ अर्जित कर रही है इस सूचना पर त्वरित कार्यवही करते हुये दोनों बस उपरोक्त को दिनांक 2.7.2006 को वहवाले रपट नं0 3 समय दो बजे आर.पी.ओ. डाक पत्थर पर दाखिल किया गय है जिसकी तलासी पर कोई वैधानिक कागजात गाड़ी से सम्बन्धित नही मिले। दोनों बसों में अलग अलग डेस्कबोर्ड की तलाशी ली गयी तो बस नं. UA07 E-4678 चैचिस नं0 3052259510 के डैस्क बोर्ड से टौल टैक्स, डीजल पर्ची, पार्किग पर्ची, गंगोत्री यमुनोत्री यात्रा, पंजीकरण टोकन, यात्री लिस्ट आदि बरामद हुई तथा दूसरी बस नं0 UA07 E-4678 चैसिस नं0 359057415463 से पार्किग शुल्क डीजल पर्ची, तीर्थयात्री कर प्रप. सं0 2, टोल टैक्स रसीद आदि बरामद हुई। बरामद पर्ची आदि उपरोक्त को अलग से फर्द बनाई गई है। तथा दोनो बसों के बारीकी परीक्षण से पाया कि बसें 42 सीट वाली हैं तथा बस एक ही साईज एक ही हुलिया की है जिनपर अग्रवाल ट्रैवल्स तथा जिन पर टेलीफोन नं0 001360–251835, 251234, मौबा0 न0 9412018663 दोनों बसों में लिखा हुआ है बसों की एक साईड में दिव्या अग्रवाल अंकित है दोनों बसों को एक साथ खड़ी कर फोटोग्राफी करायी गई। तथा बसों को धारा 207 एम.वी. एक्ट में दिनांक 2.7.06 को सीज किया गया तथा उन बसों के सम्बन्ध में गहनता से जॉच की गई जॉच के दौरान ए आर टी ओ देहरादून को सूचित किया गया जिनकी टीम द्वारा दिनांक 3.7.06 को परीक्षण किया गया

जिसकी आख्या पत्रांक 70 प्रशासन/सतर्कता/2006 दि0 3.7.06 हस्ताक्षर युक्त ए.आर.टी.ओ. श्री अनिल कुमार सिंह हैं जिसके अनुसार चैचिस नं0 पन्द्रह अंको में नही है व कोड नम्बर माडल 1992 के अनुरूप नही है जिसका पंजीयन मालिक सुशील कुमार अग्रवाल हैं अब तक की जॉच से स्पष्ट हुआ कि दोनों बसों पर एक ही नम्बर अंकित कर राज्य सरकार को धोखा देकर अवैध रूप से सुशील कुमार अग्रवाल तथा अन्य लोगों द्वारा एक षड़यन्त्र के तहत बसों का संचालन कर अवैध आर्थिक लाभ अर्जित किया जा रहा था तथा पहाड़ी दुर्गम रास्तों पर इन फर्जी बसों को चलाकर यात्रियों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। जॉच से प्रथम दृष्टया का अपराध धारा 420/467/468/471/120बी IPC का अपराध बनता है। बसों से पर्चियों मय फर्द व ए.आर.टी.ओ. की रिपोर्ट आदि दाखिल की जा रही है। पहली बस चे0न0 3052259510 समय एक बजे पुल नं0 एक विकास नगर से तथ दूसरी बस चे0नं0 359057415463 को समय 1.30 बजे अस्पताल रोड़ विकास नगर दि0 2.7.06 को पकड़ी गयी है। ब्यान पढ़ा जो बोला वही लिखा है। तस्दीक कर हस्ताक्षर बनाता हूॅ।

5. On due consideration of the submissions of the learned counsel for the parties and the above-quoted contents of the First Information Report, we are of the opinion that it is not a fit case for grant of any of the reliefs sought by the petitioner in the writ petition. We are refraining from commenting on the merits of the case lest it may adversely affect the petitioner’s case at the trial, which the petitioner is yet to face.

6. The writ petition, therefore is liable to be dismissed and is, hereby, dismissed summarily.

7. Consequently, CLMA No. 9167 of 2006 also stands dismissed.

(Prafulla C. Pant, J.) **(Rajeev Gupta, C. J.)**
24.07.2006 24.07.2006

G